भारतीय जनता पार्टी

केन्द्रीय कार्यालय
11, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001
फोन नं. : 23005700; फैक्स : 23005787

दिनांक : 02 अप्रैल, 2013

भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

भाजपा उस तरीके की घोर विरोधी है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी संसदीय समितियों के कामकाज में धीरे–धीरे और लगातार असहयोग कर रही है। इससे पहले उसने लोक लेखा समिति के कामकाज में बाधा पहुंचाई थी।

पूरे देश ने तमाशा देखा कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन को रोका। यूपीए सरकार के अलग–अलग मंत्री यह कहने के लिए आगे आते रहे कि अदालतें मुद्दों की अपराधिता का पता लगा रही हैं और जेपीसी की कोई जरुरत नहीं है। इस प्रक्रिया में संसद का एक पूरा सत्र (शीतकालीन 2011) खराब हो गया।

यह बात जनता की जानकारी में है कि उच्चतम न्यायालय ने यूपीए द्वारा जारी सभी 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंसों को रद्द कर दिया।

जनता का दबाव और भ्रष्टाचार घोटाले के आकार ने सरकार को झुकने और जेपीसी का गठन करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन समाचार माध्यमों ने भ्रष्टाचार घोटाले की जांच में प्रगति की जानकारी देने के बजाय जेपीसी के कामकाज में पहुंचाई गई बाधा के बारे में ज्यादा खबरें दी।

भाजपा सदस्यों ने जेपीसी के कामकाज के बारे में बार–बार सवाल उठाए।

इसके अलावा मुख्य आरोपी और पूर्व मंत्री ए. राजा ने जेपीसी के सामने पेश होने के लिए बार–बार इजाजत मांगी। इसे अध्यक्ष ने एकतरफा तौर पर अस्वीकार कर दिया। संसदीय समिति आम सहमति से कार्य करती है।

भारतीय संसदीय लोकतंत्र में समितियों के सामने उपस्थित होने वाले मंत्रियों के बारे में सभी जानते हैं। 1992 में डा. मनमोहन सिंह खुद जेपीसी के सामने उपस्थित हुए थे, उसी तरह भाजपा के श्री यशवंत सिन्हा भी जेपीसी के समक्ष पेश हुए थे।

एआईसीसी के 2011 में बुराड़ी में हुए पूर्ण अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री ने एक राजनीतिज्ञ की तरह लोक लेखा समिति के समक्ष उपस्थित होने की पेशकश की थी। ये सभी जानते हैं कि पीएसी प्रधानमंत्री को नहीं बुला सकती।

हांलाकि जेपीसी जिसका किसी भी मुद्दे पर गठन किया जा सकता है, उसका विशेष तौर पर सांसदों की जवाबदेही तय करने के लिए गठन किया गया।

ए राजा जिन्होंने जेपीसी के समक्ष उपस्थित होने की इजाजत मांगी, उन्हें इजाजत नहीं दी गई। श्री राजा ने बार–बार कहा कि उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री के साथ जो फैसला किया उसके बारे में प्रधानमंत्री को मालूम था। साथ ही भारत के एटॉर्नी जनरल श्री वहानवती का यह कहना कि ए. राजा ने 2जी फाइल के एक वाक्य में हेर–फेर किया, अनेक सवाल खड़े करता है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, पूर्व वित्त और विदेश मंत्री तथा जेपीसी में भाजपा के सदस्य यशवंत सिन्हा ने कई बार जेपीसी के अध्यक्ष को पत्र लिखा। उनसे जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा।

भाजपा मांग करती है कि प्रधानमंत्री और तत्कालीन तथा वर्तमान वित्त मंत्री दोनों जेपीसी के समक्ष उपस्थित हों। ए. राजा को भी जेपीसी के सामने पेश होने की इजाजत दी जाए जैसाकि मांग की जा रही है।

जेपीसी स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यापक जांच की दिशा में आगे बढ़े।

(ओ. पी. कोहली)
मुख्यालय प्रभारी